

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री निधि उडसरिया आरएएस

प्रकरण सं० : 236/2025

अनवान :

1. सुनिल कुमार पुत्र झिण्डूराम जाति जाट पूनियां निवासी सवाई छानी तहसील भादरा।
:- वादी

बनाम

1. झिण्डूराम पुत्र काशीराम जाति जाट पूनियां निवासी सवाई छानी तहसील भादरा।
2. मुकेश कुमारी पुत्री झिण्डूराम जाति जाट पूनियां निवासी सवाई छानी तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री संदीप गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री प्रभूराम गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 जेएसएल खाता सं० 13/166 के मु०नं० 112, 113, 114, 119, 120, 121, 122, 123, 124 के कुल कित्ता 141 की कुल रकबा 32.345 है० बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 झिण्डूराम का 1348/32345 हिस्सा तथा चक 6 जेएसएल के खाता संख्या 126/40 के मु०नं० 4, 5, 6, 24, 25, 37, 38 कुल कित्ता 89 कुल रकबा 19.228 है० (17.927 है० नहरी, 1.012 है० बारानी, 0.0890 है० गै० मु० रास्ता, 0.2000 है० गै० मु० खाला) जिसमें प्रतिवादी सं० 1 झिण्डूराम का 73/1748 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 अकेले की बजाय वादी सुनील कुमार को 2/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 झिण्डूराम 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं० 2 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(निधि उडसरिया)
(निधि उडसरिया)RAS

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

